संख्याः 198510 / XXIV-C-2 / 2024 / 13(02)2023

प्रेषक,

डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 14 मार्च, 2024

विषयः "मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना" में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सम्यक् विचारोपरान्त "मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना" सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या–655/XXIV-C-2/15(02)/ 2020, दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देश के शीर्ष 50 एन0आई0आर0एफ0 विश्वविद्यालयों (Overall) में स्नातक डिग्री प्राप्त करने के लिये प्रवेश पाने वाले उत्तराखण्ड राज्य के अधिकतम 100 छात्रों को पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेशोपरान्त ₹50,000/– की प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त व्यवस्था "मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना" में पूर्व से निहित व्यवस्था के अतिरिक्त होगी तथा यह आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे। उक्त संस्थानों में प्रवेशित छात्र–छात्राओं द्वारा उक्त प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु उसी शैक्षिक वर्ष में आवेदन करना होगा, जिस शैक्षिक सत्र में उसका प्रवेश संगत संस्थान में हुआ है। उक्त संस्थानों में पूर्व से प्रवेश पाने वाले छात्र–छात्राओं को उक्त योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

3– शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाये तथा उक्त शासनादेश के अन्य प्रावधान/शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

4– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटरजनित

Generated from eOffice by YOGESH BHATNAGAR, RO-Higher Education Section 2-YB, REVIEW OFFICER, Higher Education Department on 14/03/2024 01:00 PM

ई0 संख्या 1/198062/2024, दिनांक 13 मार्च, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Ashish Kumar Srivastava
Date: 14-03-2024 10:29:17
(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

संख्याः198510 / XXIV-C-2 / 2024 / 13(02)2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, गढवाल / कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
9– वित्त अनु0–3 / नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10–संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
11–अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, 3 एवं 4 उत्तराखण्ड शासन।
12–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Byomkesh Dubey
Date: 14-03-2024 12:32:43

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

Generated from eOffice by YOGESH BHATNAGAR, RO-Higher Education Section 2-YB, REVIEW OFFICER, Higher Education Department on 14/03/2024 01:00 PM